## कन्टेनर रिपेयर फेसेलिटी के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान हेतु दर एवं शर्ते।

1. आई.सी.डी जोधपुर के लिए लीज रेन्ट की आरक्षित दर राशि रूपये 28000/– प्रति माह होगी।
2. सिक्यूरिटी राशि प्रत्येक एजेन्सी से रूपये 50,000/– जमा करवाने होगी जो कि अनुबन्ध समाप्ति वापसी योग्य होगी। इस राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज की राशि का भुगतान देय नही होगा।
3. पार्टी को किराया अग्रिम जमा कराना होगा। किराया राशि प्रत्येक माह की दिनांक 15 तक आगामी माह का किराया जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। निम्न परिस्थितियों में सिक्यूरिटी राशि का समायोजन/जब्त की जावेगी।

   (अ) पार्टी की तरफ कोई भी बकाया राशि के पेटे समायोजन।

   (ब) पार्टी द्वारा निगम को किसी भी तरह की वित्तीय एवं उसके द्वारा किये गये कृत्य से होने वाली हानि एवं अनुबन्ध की शर्तो का पालन नही करने पर निगम द्वारा सिक्यूरिटी राशि जब्त किया जा सकेगा।
4. अवधि – यह फेसिलिटी प्रारम्भरिक तौर पर एक वर्ष के लिए दी जावेगी एवं एक साल बाद लीज रेन्ट की राशि का पुनः निर्धारण कर आपसी सहमति से फेसिलिटी की अवधि बढायी जा सकती है।
5. कोई भी पार्टी एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध को पूर्व समाप्त कर सकती है।
6. किराया राशि में पानी उपयोग की राशि सम्मिलित है। विधुत व्यय के लिए पार्टी को अपना सब मीटर लगाना होगा एवं वास्तविक उपयोग के आधार पर भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
7. रिपेयर हेतु कन्टेनर की शिफ्टींग करवाने पर पार्टी को आई.सी.डी की निर्धारित दर कन्टेनर हैण्डलिग चार्जेज का भुगतान अलग से करना होगा ।
8. पार्टी द्वारा निगम को भुगतान की जाने वाली राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी देय होगा।
9. ऐसी पार्टी इस हेतु योग्य नही होगी जिसकी तरफ निगम की कोई बकाया,वसूली योग्य राशि एवं विवाद लम्बित हो।
10. पार्टी द्वारा मरम्मत कार्य हेतु रखे गये समस्त कर्मियों की सूची मय आईडी प्रुफ, आई.सी.डी में जमा करवानी होगी।
11. कन्टेनर मरम्मत के सम्बन्ध में शिपिंग लाईन एवं पार्टी के मध्य अनुबन्ध में निगम कोई पार्टी नही होगा। यह उन दोनो के मध्य सीधा अनुबन्ध माना जावेगा। इसमें किसी प्रकार के विवाद होने पर निगम का कोई सम्बन्ध नही होगा।

12. अनुबन्ध के सम्बन्ध में प्रशासनिक नियंत्रण प्रभारी आई.सी.डी का होगा एवं पार्टी द्वारा प्रभारी आई.सी.डी के निर्देशों की पालना करनी होगी।
13. पार्टी द्वारा आई.सी.डी में कार्य सम्भालने से पूर्व अपने संस्थान से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि जिसके साथ अनुबन्द करने का अधिकार हो उसका अधिकृत पत्र एवं आई.डी.प्रुफ प्रस्तुत करना होगा।
14. दोनों पार्टियों के मध्य किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक राजसिको सोल आर्बीट्रेटर होगे। सोल आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा।
15. निविदा सील बंद पत्र प्रसतुत करने की अन्तिम तारीख 10.03.2021 को 1:00 बजे तक एवं निविदा खोलने की तारीख 10.03.2021 को 3:00 होगी।
16. न्यायिक प्रकरणों हेतु क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

उपरोक्त शर्ते हमें स्वीकार है।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर